केन्द्रीय विद्यालय संगठन, आगरा संभाग
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, AGRA REGION
(मानव संसाधनविकासमंत्रालय के अधीन, भारत सरकार)
(Under Ministry of HRD, Govt. of India)
ग्रान्डपरेडरोड, आगराछावनीGrand Parede Road, Agra Cantt,
आगरा(उ. प्र.) – 282001 Agra(U. P.) – 282001
www.kvsroagra.org. ☎0562-2225530

पत्रांक:30025-2/2013/केविसं(आ.सं.)/ 3181

दिनांक: 10-07-2014
ई–मेल द्वारा

सेवामें,

प्राचार्यवृंद
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
आगरा संभाग

विषय: – भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया जैसे - ट्विटर, फेसबुक, ब्लाग, गूगल, यू-ट्यूब के प्रयोग में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य करना।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन,(मुख्यालय), नई दिल्ली के दिनांक 01-07-2014 के पत्र, सॅख्या – 11025/103/2014/केविसं/हिं0/822-84. की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र में दी गई जानकारी का भली-भाँति अवलोकन कर उसमें दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

10/07/2014
(आर० के० पाथिक)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:–
1. सभी अधिकारी/अनुभाग,के0वि0सं0 (क्षे0का0) आगरा को उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), के0वि0सं0, मुख्यालय, नई दिल्ली को उनके उपर उल्लिखित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. गार्ड फाईल।

प्रशासनिक अधिकारी

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.सं.11025/103/2014/केविसं/हिं/822-884 दिनांक: 01/07/2014

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन,
क्षेत्रीय कार्यालय
दिल्ली/गुड़गाँव/देहरादून/जबलपुर/पटना/राँची/लखनऊ/
भोपाल/रायपुर/आगरा/वाराणसी/जयपुर

विषयः भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, फेसबूक, ब्लॉग, गूगल, यू-ट्यूब के प्रयोग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग अनिवार्य करना।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजभाषा प्रभाग दिल्ली के दिनांक 10 जून, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035-7/2014-रा.भा.ए के साथ प्राप्त गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के दिनांक 10.03.2014 कार्यालय ज्ञापन संख्या 12019/03/2014-रा.भा.(निक्षेपित) की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित है कि इसमें दिए गए निर्देशों के अनुपालन अर्थात अपने कार्यालयों द्वारा ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, गूगल, यू-ट्यूब आदि पर बनाए गए अधिकारिक खातों में राजभाषा हिंदी अथवा द्विभाषी का प्रयोग किया जाए। ध्यान रहे कि द्विभाषी रखते समय हिंदी को ऊपर/पहले रखा जाए।

साथ ही इसकी अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय में यथाशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

(डॉ.ई.प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

प्रतिलिपिः-

1. संगठन(मुख्या)के सभी अधिकारियों/अनुभागों को इस आशय से प्रेषित कि भविष्य में भी और अब भी अपने कार्यालय /अनुभाग से संबंधित सामग्री, यदि कोई हो, तो उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार हिंदी में भी 7 दिन के भीतर अपलोड करवा लें।
2. निदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन,शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आंचलिक संस्थान ग्वालियर ।

(डॉ.ई.प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

एफ.13035-7/2014-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 10 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया जाना ...

अ०आ० (4521)

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकाके सभी मंत्रालयों / विभागों/ अधीनस्थ कार्यालयों / उपक्रमों/ निगमों / बैंकों और पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक माध्यमों जैसे कि टविटर, फेसबुक, ब्लाग, गुगल, यू-टयूब आदि पर बनाए गए आधिकारिक खातों में केवल अंग्रेजी का प्रयोग ही किया जा रहा है और राजभाषा हिन्दी की सर्वथा अवहेलना की जा रही है।

इस संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त दिनांक 10-3-2014 का पत्र सं 12019/03/2014-रा.भा.(निक्षेपित) मंत्रालय के अंतर्गत दोनों विभागों तथा मंत्रालय के अधीन 'क' क्षेत्र में स्थित सभी विश्वविद्यालयों/प्रबन्ध संस्थानों/प्रौद्योगिकी संस्थानों/ कार्यालयों/निकायों आदि को आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

(राकेश शर्मा)
निदेशक (रा.भा.)
फैक्स : 011-23073273

The Commissioner KVS
18 JUN 2014
1925/C

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी अधिकारी/डैस्क/अनुभाग आदि ।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अधीन 'क' क्षेत्र में स्थित सभी विश्वविद्यालयों/प्रबन्ध संस्थानों/ प्रौद्योगिकी संस्थानों/ कार्यालयों/ निकायों आदि के कुलपति/ निदेशक/ प्रमुख
3. गार्ड फाइल ।

JC(P)

1263/JC(P)
19/6/14

20/6

श्री शर्मा जी

FTS - 35332/2014
1-4-2014

क्र० सं. 5 (आ०)

सं.12019/03/2014-रा.भा.(निक्षेपित)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

5/समन्वय अनुभाग/2014
26.03.2014

एनडीसीसी-|| बिल्डिंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 10-03-2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया जाना।

ऐसा विदित हुआ है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों और पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक माध्यमों जैसे कि ट्विटर,फेसबुक,ब्लॉग, गूगल,यू-ट्यूब आदि पर बनाए गए अधिकारिक खातों में केवल अंग्रेजी का प्रयोग ही किया जा रहा है और राजभाषा हिन्दी की सर्वथा अवहेलना की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों और पदाधिकारियों द्वारा सामाजिक माध्यमों जैसे कि ट्विटर,फेसबुक,ब्लॉग, गूगल,यू-ट्यूब आदि पर बनाए गए अधिकारिक खातों में राजभाषा हिन्दी अथवा द्विभाषी (हिन्दी व अंग्रेजी) का प्रयोग किया जाए जिसमें हिन्दी को ऊपर/पहले रखा जाए।

अत: केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे 'क' क्षेत्र में स्थित अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि को इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी करें।

भवदीय

(भोपाल सिंह)
10.03.2014
निदेशक(शिका0)

सेवा में,

संयुक्त सचिव/प्रशासन
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग